



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253051  
CG-DL-E-15032024-253051

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1293]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 1293]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

का.आ. 1359(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मैसर्स मेकॉन लिमिटेड को उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए इस शर्त के अधीन है, अधिसूचित करती है कि उक्त सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम संबंधित राज्य सरकार को अपने द्वारा किए गए पूर्वोक्त प्रचालनों के संबंध में सृजित डेटा उपलब्ध कराएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम VI-16/81/2023- खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

S.O. 1359(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the M/s. MECON Limited, a Central Public Sector Enterprise under the control of the Ministry of Steel, for

the purposes of the said proviso subject to the condition that the said Public Sector Enterprise shall make available the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the concerned State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M.VI-16/81/2023-Mines VI]

Dr. Veena Kumari Dermal, Jt. Secy.